

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या  
12-43-2023

रजि०नम्बर  
2023/305

प्रवेश तिथि  
28-06-2023

निर्णय दिनांक  
29-05-2024

01- रतन पुत्र श्री सुखराम जाति जाटव निवासी ग्राम बगड राजपूत तहसील रामगढ

जिला अलवर

अपीलान्ट

बनाम

01- तहसीलदार रामगढ जिला अलवर

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध तहसीलदार रामगढ दिनांक  
27.12.2022 अन्तर्गत धारा 91 भू० राजस्व  
अधिनियम प्रकरण संख्या 100/2022

उपस्थित:-

01-श्री जलालुदीन एडवोकेट

-वकील अपीलान्ट



अपीलान्ट ने यह अपील तहत अस्तित्व तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 27.12.2022 प्रकरण संख्या 100/2022 जिसके द्वारा सम्वत 2079 में ग्राम बगड राजपूत की आराजी खसरा नम्बर 429 रकबा 01.00 हैक्टर से 0.40 है० किस्म गैर सायल अपीलान्ट में अवैध रूप से गेहूँ काशत कर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिये जाने पर पटवारी हल्का बगड राजपूत द्वारा दिनांक 07.12.2022 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू-अभिलेख निरीक्षक वृत बगड मेव के तहत न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों० को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया। हल्का पटवारी बगड राजपूरत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ जिला अलवर राज० के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि ग्राम बगड राजपूत की सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा 429 रकबा 01.00 हैक्टेयर में से 0.40 हैक्टेयर पर गैर सायल अपीलान्ट द्वारा अवैध रूप से गेहूँ काशत कर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिये जाने पर पटवारी हल्का बगड राजपूत द्वारा दिनांक 07.12.2022 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू-अभिलेख निरीक्षक वृत बगड मेव के तहत न्यायालय में प्रस्तुत की गई। जिसके बाद अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम का नोटिस मिन अपीलान्ट को जारी किया गया तथा प्रकरण में दिनांक 27.12.2022 को आलौच्य निर्णय पारित करते हुये आदेश दिया गया कि गैर सायल को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किए जाने पर बेदखली के आदेश पारित किये गये, साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप 03 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने एवं गैर सायल की गिरफ्तारी हेतु संबंधित पुलिस थाना को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दण्ड स्वरूप लागान 0.80/- रुपये का 50 गुना रूपया 40/- रूपयें पेनल्टी आरोपित की जाकर माँग कायमी हेतु टी.आर.ए तहसील हाजा को लिखा जावे। पेनल्टी वसूली, फसल नीलामी ए वं बेदखली हेतु पटवारी/भू०अनिरीक्षक को लिखा जाकर बाद तकमील पत्रावाली दाखिल दफ्तर फरमायी गयी। प्रार्थी अपीलान्ट/गैर सायल द्वारा

आराजी खसरा नंबर 429 रकबा 1.00 हैक्टेयर वाके ग्राम बगड राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर की भूमि में से 0.40 हैक्टेयर पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया और नाही किसी प्रकार की कोई फसल बोई गई है। मात्र हल्का पटवारी के प्रार्थना-पत्र व बयान के आधार पर उपरोक्त प्रकरण में तहत न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश सादिर फरमाया गया है। जो अपास्त फरमाये जाने योग्य है। अपीलान्ट की उक्त प्रकरण में तामील हुई और मिन प्रार्थी अपीलान्ट ने उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया गया लेकिन तहत अदालत ने प्रार्थी अपीलान्ट के जवाब से सन्तुष्ट नहीं होकर प्रार्थी अपीलान्ट के खिलाफ दण्डादेश पारित कर दिया इसलिये तहत अदालत का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट का सरकारी चारागाह भूमि पर कभी भी अतिक्रमण नहीं रहा और नाही वर्तमान में अतिक्रमण है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण के आधार पर तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से अपीलान्ट को दण्डित किया गया है। जबकि हल्का पटवारी के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत किसी प्रकार का कोई दस्तावेज या प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नहीं की गई है। नाही अपीलान्ट को तहत अदालत द्वारा अन्तर्गत धारा 91(6) का नोटिस दिया गया। विधि का सुरस्थापित सिद्धान्त है कि पूर्व निर्णयों की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली पर पेश करनी होती है। लेकिन उक्त प्रकरण में हल्का पटवारी के बयानों के आधार पर तहत न्यायालय ने आलौच्य पारित किया है। तहत न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी के बयान साईकिलोरटाईल में दिये गये है। तथा न्यायालय आदेश भी प्रिटेन्ड फोरमेट में पहले से छपे हुये आदेश में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुये किया गया। जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने अपनी पत्रावली की आदेशिका में यह दर्ज किया है। कि निर्णय पृथक से लिखाया गया है। जोकि न्यायालय कार्यवाही के अनुसार संगत नहीं है। जिस कारण से तहत अदालत का आलौच्य आदेश निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अपीलाधीन प्रकरण का निर्णय अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरुद्ध किया है, जबकि पाकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था। अपील हाजा तहत न्यायालय तहसीलदार रामगढ जिला अलवर के आदेश दिनांक 27.12.2022 के विरुद्ध पेश की जा रही है न्यायालय तहसीलदार रामगढ जिला अलवर राज0 दिनांक 27.12.2022 प्रकरण संख्या 100/2022 की मिन अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिये अपील समयावधि में पेश नहीं की जा सकी। जिसमें मिन अपीलान्ट की कोई लापरवाही या बदयान्ती नहीं है। दिनांक 16.06.2023 को तहत अदालत के निर्णय के बाद पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आकर तहत अदालत के उक्त निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्ट को मौखिक रूप से देने पर हुई। जानकारी होने पर मिन अपीलान्ट ने नकल के लिये जरिये अधिवक्ता दिनांक 19.06.2023 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जो नकल दिनांक 21.06.2023 को तैयार होकर दिनांक 21.06.2023 को सायंकाल प्राप्त हुई उसके बाद दिनांक 21.06.2023 को नकल वकील साहब को दिखा कर कानूनी राय ली। तो वकील साहब ने अविलम्ब अपील न्यायालय श्रीमान में पेश करने की राय दी। जिसके बाद अपील करने के लिये आवश्यक खर्च का इंतजाम कर वकील साहब से अपील करने के लिये आवश्यक खर्च का इंतजाम कर वकील साहब से अपील आदि तैयार करा कर आज अपील सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 16.06.2023 से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थी अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि मिन प्रार्थी अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ द्वारा मुकदमा संख्या 100/2022 बअनुवान सरकार बनाम रतन में पारित निर्णय/आदेश संख्या 27.12.2022 को अपास्त फरमाया जावे।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट न अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2022 के विरुद्ध यह अपील न्यायालय हाजा को दिनांक 23.06.2023 को पेश की गयी है। जो करीब 6 माह के विलम्ब पेश की गयी है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दू पर नरमी का रुख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रुख अपनाते हुये विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया। अपीलांट पूर्व में अतिक्रमी रहा है। जो

पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त संबंध में अपीलांट को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के उपरांत भी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई जवाब पेश नहीं गया। ना ही पटवारी हल्का के बयान साईक्लोस्टाईल है। जिस कारण अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्य अप्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2022 न्यायोचित प्रक्रियानुसार है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्त खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.12.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ़तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)  
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर, (राज०)